<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

1. सत्रहवीं लोक सभा का पहला सत्र सोमवार, 17 जून, 2019 से आरंभ हुआ था और राज्य सभा का वां सत्र249 गुरूवार, 20 जून, 2019 से आरंभ हुआ था। लोक सभा को मंगलवार ,6 अगस्त ,2019 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और राज्य सभा को बुधवार ,7 अगस्त, को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर 2019 दिया गया है। सत्र के दौरान लोक सभा की कुल 37 बैठकें और राज्य सभा की 35 बैठकें हुई।

2. 17वीं लोक सभा का प्रथम सत्र होने के नाते, पहले दो दिन अर्थात 17 और 18 जून, 2019 के दौरान नए सदस्यों ने शपथ ली/प्रतिज्ञान किया। अध्यक्ष, लोक सभा का चुनाव 19 जून, 2019 को किया गया।

3. आम चुनाव के पश्चात यह पहला सत्र होने के नाते, माननीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार 20 जून, 2019 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री प्रताप चन्द्र सारंगी द्वारा प्रस्तावित और डॉ. हिना गावित द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 10 घंटे के स्थान पर 13 घंटे 47 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इसे श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तावित और श्रीमती सम्पतिया उइके द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 14 घंटे का समय लिया गया। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया।

4. शुक्रवार ,5 जुलाई, 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की गई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 17 घंटे 23 मिनट का समय लगा और राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 30 मिनट का समय लिया गया।

5. लोक सभा में, रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि, ग्रामीण विकास और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकार किया गया। तत्पश्चात, मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों पर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को सदन के मत के लिए प्रस्तुत किया गया। 17.07.2019 को संबंधित विनियोग विधेयक को भी पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 को लोक सभा द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 और वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 को दिनांक 23.07.2019 को लौटाया गया। इस प्रकार पूरा वित्तीय कार्य 31 जुलाई, 2019 से पहले पूरा कर लिया गया था।

....2/-

6. इस सत्र के दौरान कुल 40 विधेयक (33 लोक सभा में और 07 राज्य सभा में) पुरस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 35 विधेयक पारित किए गए; राज्य सभा द्वारा 32 विधेयक पारित किए गए और संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए गए 30। लोक सभा और राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकोंराज्य सभा द्वारा , पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

7. लोक सभा की उत्पादिता लगभग %137 व राज्य सभा की लगभग %103 रही।

8. यह सत्र कई रूप में ऐतिहासिक रहा क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के करीब- करीब हर क्षेत्र से जुड़े कानूनों को पारित किया गया।नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले ही/प्रभावशाली सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा रिकार्ड संख्या में अर्थात 30 विधेयक पारित किए गए।

9. इस सत्र के दौरान निपटाए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुच्छेद 370 और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों से कुछ उपबंधों कको रद्द करना है। यह जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से भारत के संविधान के उपबंधों की प्रयोज्यता की बहाली और सभी सामाजिक-आर्थिक विधान जिससे कानून और निष्पक्षता का शासन सुनिश्चित हो। आगे बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के गठन के साथ पुनर्गठित किया गया है।

10. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार - इस सत्र के दौरान चार विधेयकों अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 और दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो आयुर्विज्ञान शिक्षा, आयुर्विज्ञान व्यवसाय और आयुर्विज्ञान संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन तथा आयोग को सिफारिशें देने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन करता है।

11. सामाजिक और लैंगिक न्याय - भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ विधेयकों को भी इस सत्र के दौरान पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019, उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू

करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए पहले के कानून को रद्द करके और उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को पुनर्जीवित करने की मांग करता है; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली उपभोक्ता बाधा को रोकने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों के कठोर परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" के लिए अतिरिक्त प्रावधान के अलावा लौटाना, वापिस करना और उत्पादों को वापस लाने सहित श्रेणीबद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए है। । जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019 बालकों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को अधिक कठोर बनाता है जो बीस साल तक हो सकती है अथवा कुछ मामलों में पोर्नोग्राफी में बालकों को दिखाने का अपराध घोषित करने के अलावा जीवन की प्राकृतिक अवधि के शेष भाग के लिए कारावास घोषणा करता है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 जो तीन तलाक/तलाक-ए-इबादत को निरस्त घोषित करता है, मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा - ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण को मजबूत किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) ,विधेयक2019, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 और मानव अधिकार संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019 इस सत्र के दौरान पारित किया गया है।

13. आर्थिक क्षेत्र/व्यवसाय करने में आसानी - नई दिल्ली माध्यस्थम केंद्र विधेयक ,2019 , ,विधेयक (संशोधन) माध्यस्थम और सुलह2 019तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ,विधेयक (संशोधन)2019 क्रमशः वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली तथा नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट प्रणाली को बढ़ावा और मजबूती देता है और यह इस तरह से निवेशकों के बीच विश्वास निर्माण की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए एक बड़ी छलांग है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा के भीतर "न्यास या अस्तित्व" को शामिल करने का प्रयास करता है ताकि उद्यमियों के दायरे का विस्तार हो सके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों को स्थापित कर सकते हैं। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक ,2019 कारोबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों से भिन्न अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा का उपबंध करता है।

14. श्रम सुधार - मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में संशोधन के बाद मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 लागू किया गया और श्रम सुधार के लिए बहुत समय से

प्रतीक्षित है, जिससे श्रम कानूनों के अनुपालन में आसानी होगी, जिससे सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का दायरा बढ़ेगा - इक्विटी संवर्धन के लिए एक बड़ा कदम है तथा अधिक उद्यमों की स्थापना होगी इस प्रकार रोजगार के अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करेगी।

15. परिवहन सुधार - मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तावित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 सड़क सुरक्षा, नागरिक सुकरीकरण, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने, स्वचालन और कंप्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए है तथापि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने और शास्तियों में वृद्धि करने के लिए और सड़क के नेक उपयोगकर्ताओं के संरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019 प्रमुख हवाईअड्डों की परिभाषा में संशोधन करने के अतिरिक्त हवाईअड्डों पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी साझेदारों के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रणाली को अपनाने में सक्षम बनाता है - जिसमें यात्रियों की वार्षिक आवाजाही पैंतीस लाख से अधिक होती है।

16. माननीय प्रधान मंत्री के शक्तिशाली नेतृत्व में संसदीय कार्य मंत्रालय में मंत्रियों द्वारा दोनों सदनों में उत्कृष्ट सदन समन्वय के कारण उपरोक्त परिणाम प्राप्त किए जा सके हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 और मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा के दौरान राज्य सभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर, संबंधित मंत्रियों ने स्वीकार किया और इस संबंध में आधिकारिक संशोधन किए जो सदन के पटल पर राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय के आदर्श उदाहरण हैं।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि अब इस सत्र से किसी सदन के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने की पूर्व प्रथा से हटकर सदन एक या दो घंटे के लिए स्थगित करके दिन के आवश्यक कार्यों के लिए पुन: बैठक करने की एक नई प्रथा विकसित की गई है। इसने दोनों सदनों की कुल उत्पादकता में वृद्धि के लिए योगदान दिया है जो लोक सभा में 137% और राज्य सभा में 103% रही।

18. संसद के दो सदनों से पहले कार्य के लेन-देन में शामिल सभी एजेंसियों और व्यक्तियों के अथक प्रयासों के कारण इस सत्र का असाधारण उत्पादन संभव हो गया है।

****

अनुबंध

17वीं लोक सभा के पहले सत्र और राज्य सभा के 249वें सत्र के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I - लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. मुस्लिम महिला ,विधेयक (विवाह अधिकार संरक्षण)2019
2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
3. जम्मू और कश्मीर आरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
4. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
5. विशेष आर्थिक जोन ,विधेयक (संशोधन)2019
6. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019
7. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
8. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
9. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक ,2019
10. वित्त 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
11. डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और)अनुप्रयोग विनियमन ,विधेयक (2019
12. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019
13. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
14. मानव अधिकार संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
15. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ,2019
16. सरकारी स्थान संशोधन (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक ,2019
17. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ,विधेयक (संशोधन)2019
18. केंद्रीय विश्वविद्यालय ,विधेयक (संशोधन)2019
19. मोटर यान ,विधेयक (संशोधन)2019
20. सरोगेसी ,विधेयक (विनियमन)2019
21. विनियोग 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
22. उभयलिंगी व्यक्ति 2019 ,विधेयक (अधिकारों का संरक्षण)
23. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक ,2019
24. सूचना का अधिकार ,विधेयक (संशोधन)2019
25. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक ,2019
26. मजदूरी संहिता ,2019
27. व्यावसायिक सुरक्षा ,स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां संहिता ,2019
28. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 2019 ,विधेयक (संशोधन)

29. निरसन और संशोधन विधेयक ,2019
30. कंपनी ,विधेयक (संशोधन)2019
31. बांध संरक्षा विधेयक ,2019
32. सर्वोच्च न्यायालय ,संशोधन विधेयक (जजों की संख्या)2019
33. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

II- राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
2. माध्यस्थम और सुलह ,विधेयक (संशोधन)2019
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ,विधेयक (संशोधन)2019
5. राष्ट्रीय अभिकल्पन संस्थान ,विधेयक (संशोधन)2019
6. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
7. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

III- लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. विशेष आर्थिक जोन ,विधेयक (संशोधन)2019
2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
3. जम्मू और कश्मीर आरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
4. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
8. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक ,2019
9. केंद्रीय विश्वविद्यालय ,विधेयक (संशोधन)2019
10. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
11. विनियोग 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
12. वित्त 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
13. मानव अधिकार संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
14. सूचना का अधिकार ,विधेयक (संशोधन)2019
15. मोटर यान ,विधेयक (संशोधन)2019
16. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

17. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक ,2019
18. मुस्लिम महिला ,विधेयक (विवाह अधिकार संरक्षण)2019
19. कंपनी ,विधेयक (संशोधन)2019
20. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक ,2019
21. निरसन और संशोधन विधेयक ,2019
22. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ,2019
23. मजदूरी संहिता ,2019
24. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ,विधेयक (संशोधन)2019
25. सरकारी स्थान ,संशोधन विधेयक (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)2019
26. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ,विधेयक (संशोधन)2019
27. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
28. माध्यस्थम और सुलह ,विधेयक (संशोधन)2019
29. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ,विधेयक (संशोधन)2019
30. बांध संरक्षा विधेयक ,2019
31. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
32. उभयलिंगी व्यक्ति ,विधेयक (अधिकारों का संरक्षण)2019
33. सरोगेसी 2019 ,विधेयक (विनियमन)
34. सर्वोच्च न्यायालय ,संशोधन विधेयक (जजों की संख्या)2019
35. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

I V- राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. विशेष आर्थिक जोन ,विधेयक (संशोधन)2019
2. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
4. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
9. केंद्रीय विश्वविद्यालय ,विधेयक (संशोधन)2019
10. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
11. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक ,2019

12. माध्यस्थम और सुलह ,विधेयक (संशोधन)2019
13. मानव अधिकार संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
14. विनियोग 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
15. वित्त 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
16. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
17. सूचना का अधिकार ,विधेयक (संशोधन)2019
18. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक ,2019
19. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ,विधेयक (संशोधन)2019
20. मुस्लिम महिला ,विधेयक (विवाह अधिकार संरक्षण)2019
21. कंपनी ,विधेयक (संशोधन)2019
22. मोटर यान ,विधेयक (संशोधन)2019
23. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक ,2019
24. मजदूरी संहिता ,2019
25. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019
26. निरसन और संशोधन विधेयक ,2019
27. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
28. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
29. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ,2019
30. सरकारी स्थान ,संशोधन विधेयक (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)2019
31. राष्ट्रीय अभिकल्पन संस्थान ,विधेयक (संशोधन)2019
32. सर्वोच्च न्यायालय जजों की) संख्या ,संशोधन विधेयक (2019

IV- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/पारित माने गए विधेयक

1. विशेष आर्थिक जोन ,विधेयक (संशोधन)2019
2. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
4. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
8. केंद्रीय विश्वविद्यालय ,विधेयक (संशोधन)2019
9. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019

10. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक ,2019
11. विनियोग 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
12. वित्त 2 संख्यांक)) विधेयक ,2019
13. मानव अधिकार संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
14. सूचना का अधिकार ,विधेयक (संशोधन)2019
15. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक ,2019
16. मुस्लिम महिला ,विधेयक (विवाह अधिकार संरक्षण)2019
17. कंपनी ,विधेयक (संशोधन)2019
18. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ,विधेयक (संशोधन)2019
19. माध्यस्थम और सुलह ,विधेयक (संशोधन)2019
20. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ,विधेयक (संशोधन)2019
21. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019
22. मजदूरी संहिता ,2019
23. निरसन और संशोधन विधेयक ,2019
24. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ,विधेयक (संशोधन)2019
25. मोटर यान ,विधेयक (संशोधन)2019
26. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक ,2019
27. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ,2019
28. सरकारी स्थान ,संशोधन विधेयक (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)2019
29. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
30. सर्वोच्च न्यायालय ,संशोधन विधेयक (जजों की संख्या)2019